न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री कर्मवीर सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 88/2015

जीसीएमएस संख्या: 2015/00078

1. प्रेमवती बेवा वावू | जातिगण जाटव निवासी ग्राम दूवरा तहसील व जिला धौलपुर
2. हाकिमसिंह | पुत्रगण |
3. कमलसिंह | वावू |
4. होतम | |
5. मनीष | |
6. पिंकी पुत्री वावू पत्नी मनोज जाति जाटव निवासी ग्राम वरारा तहसील मलपुरा जिला आगरा
7. कंचन | पुत्रगण मुरली जाति जाटव निवासी ग्राम दूवरा तहसील व जिला धौलपुर
8. सोबरन |

वनाम

1. खजुआ |
2. लच्छो बेवा रामनिवास जाति धोवी निवासी ग्राम सांदरा तहसील व जिला धौलपुर
3. विद्याराम पुत्र चंदना जाति त्यागी निवासी ग्राम दूवरा तहसील व जिला धौलपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर
5. स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एण्ड जयपुर शाखा धौलपुर तामील जरिये प्रवंधक
6. मीनू | पुत्रीयान स्व0 रामनिवास | जातिगण धोवी निवासी ग्राम दूवरा तहसील व
7. विमलेश | | जिला धौलपुर
8. प्रीति | |
9. सनी | पुत्रगण स्व0 रामनिवास |
10. राजेश | |

....................प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आरटीए

निर्णय दिनांक 28.10.2025

वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 06.10.2025 को एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आरटीए न्यायालय में पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2, 6 लगायत 10 ने वादीगण के विरूद्ध काउण्टर क्लेम विवादित आराजी के बंटवारा हेतु प्रस्तुत किया। दावा वादीगण दिनांक 10.12.2023 को अदम हाजिरी एवं अदम् पैरवी में खारिज हो चुका है, तथा काउण्टर क्लेम वाद तहकीकात दिनांक 20.05.2025 को प्रांरम्भिक रूप से डिकी किया गया, तथा तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार धौलपुर ने पत्रांक 675 दिनांक 25.09.2025 से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है।

विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया एवं वकील काउण्टर क्लेम को सुना गया। वकील वकील काउण्टर क्लेम ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव काउण्टर क्लेम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील काउण्टर क्लेम की बहस सुनी गई, वकील काउण्टर क्लेम ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति. जाहिर की, एवं मुताविक विभाजन प्रस्ताव काउण्टर क्लेम डिकी किये जाने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

हस्ताक्षर शपथग्रहाता

हमने वकील काउण्टर क्लेम की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया विभाजन प्रस्ताव प्रारम्भिक डिक्री के आदेशानुसार तैयार किये है। वकील काउण्टर क्लेम ने भी विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर की है। ऐसी स्थिति में काउण्टर क्लेम मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः आदेश है कि काउण्टर क्लेम मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नम्बर 100, 400, 401, बाकै ग्राम दूबरा तहसील व जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक– पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम काश्तकार मय वल्दियत व हिस्सा	ख0 नं0	रकवा
1	लक्ष्मी पत्नी, सनी, राजेश पुत्रान व मीनू, विमलेश, प्रीति पुत्रियान पिसरान रामनिवास हि0 ब0 जाति धोबी सा. सांदरा खातेदार	100	0.3541 हैक्टेयर
2	सोबरन पुत्र मुरली हि0 पूर्ण जाति जाटव सा. देह खातेदार	425/1	0.2529 हैक्टेयर
3	प्रेमवती पत्नि हाकिम, कमलसिंह, होतम, मनीष, पुत्रान पिंकी, पुत्रियान पिस. बाबू हि.ब. जाति जाटव सा. देह खातेदार	400	0.3035 हैक्टेयर
4	बैकुण्ठी पत्नि कंचन हि0 1/8, धर्मवीर, रवि, पवन पुत्रान नर्मदा, सीमा, श्रीमती पुत्रियान पिसरान कंचन हि0 बराबर 6/8, गिरजा पत्नि व नाबालिग बादल पुत्र, संजना, सुनेना नाबालिग पुत्रियान पिस0 साहबसिंह हि0 ब0 1/8 जाति जाटव सा. देह खातेदार	401 425/2	0.2655 हैक्टेयर 0.3034 हैक्टेयर

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक– पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजी के कुल लगान के बीस गुना राशि पर देय मुद्रांक कर के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28.10.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)

(कर्मवीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर, धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)